

फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रहलाद बनाम एस. डी. एम. जयपुर शहर दक्षिण व अन्य

केस संख्या 177/2023 (मुत्तकिल प्रार्थना पत्र)

| दिनांक आहवा या कार्यवाही | आहवा का विस्तृत रूप | विशेष विवरण |
|-----------------------------|--|-------------|
| 20.02.2024 | <p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपरिथत है। प्रार्थी अधिवक्ता ने अवगत कराया है कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) के पीठासीन अधिकारी श्रीमती मुक्ता राव आर.ए.एस. का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है।</p> <p>प्रार्थी अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।</p> <p>प्रार्थी ने उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 98/2019 व उनवानी आत्माराम व अन्य बनाम साबल्या व अन्य में पीठासीन अधिकारी श्रीमती मुक्ता राव आर.ए.एस. से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।</p> <p>उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्रीमती मुक्ता राव आर.ए.एस. का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने से उनके विरुद्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुत्तकिल प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रभाव शून्य (Infructuous) हो गया है। फलस्वरूप प्रार्थी का मुत्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">(प्रकाश राजपुरोहित) जिला कलक्टर जयपुर</p> | |